

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-5/अ0प्र0-01-02/2019

2670

/पटना दिनांक-18/4/22

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010, पत्रांक-8928 दिनांक-15.11.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में दिनांक-05.01.2022 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से स्तम्भ-7 में अंकित वेतनमान/वेतन स्तर में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	बैठक की कार्यवाही का क्रमांक	नाम/गृह जिला	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि एवं नियुक्ति का पद	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (30 वर्ष)	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान/वेतन स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	1	श्री अरविन्द कुमार सिन्हा/ गया	15.01.1959 31.01.2019	29.06.1987 (तदर्थ स.अ.) 28.03.2012	29.06.2017	वेतन स्तर-13
2	5	श्री कुमार सुनील/ औरंगाबाद	05.03.1961 31.03.2021	29.06.1987 (तदर्थ स.अ.) 28.03.2012	29.06.2017	वेतन स्तर-13
3	10	श्री सुधीर चन्द्र पाठक/ भागलपुर	07.07.1957 31.07.2017	29.06.1987 (तदर्थ स.अ.) 28.03.2012	29.06.2017	वेतन स्तर-13
4	12	श्री शिव चन्द्र राय/ हाजीपुर	24.01.1956 31.01.2016	07.02.1979 क.अ.	07.02.2009	पी0बी0-3, ग्रेड पे-7600

[Signature]

[Signature]
12/4/2022

5	20	श्री हरेन्द्र साह/सीवान	16.11.1966 30.11.2026	20.09.1989 क.अ.	20.09.2019	वेतन स्तर-12
6	21	श्री राकेश कुमार पाल/ वाराणसी (उ०प्र०)	16.03.1963 31.03.2023	13.01.1988 क.अ.	13.01.2018	वेतन स्तर-12
7	22	श्री विजय कुमार पाण्डेय/ भोजपुर	25.04.1962 30.04.2022	11.01.1988 क.अ.	01.04.2020 (दण्ड से अछादित रहने के कारण)	वेतन स्तर-12
8	25	श्री उमेश कुमार/ सीतामढ़ी	06.04.1962 31.04.2022	11.03.1987 क.अ.	11.03.2017	वेतन स्तर-12
9	26	श्री अरुण कुमार/ खगड़िया	12.01.1961 31.01.2021	26.02.1988 क.अ.	26.02.2018	वेतन स्तर-12
10	27	श्री राम चन्द्र यादव/ सुपौल	05.05.1954 31.05.2014	07.02.1979 क.अ.	07.02.2009	पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600
11	34	श्री मानिक प्रसाद सिंह/ किशनगंज	16.12.1960 31.12.2020	15.01.1988 क.अ.	15.01.2018	वेतन स्तर-12
12	40	श्री किष्टो लाल यादव/ पूर्णिया	04.02.1954 28.02.2014	05.02.1979 क.अ.	03.03.2009 (परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि से)	पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600

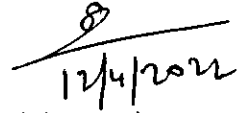
- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त सहायक अभियंताओं का वेतन नियतिकरण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम-4 के अनुसार किया जाएगा। मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (i) में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
- उपर्युक्त किसी भी सहायक अभियंता के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अभियंता को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन संबंधी लाभ को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

[Signature]

[Signature]

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान से पूर्व संबंधित सहायक अभियंताओं के सेवा में टूट इत्यादि, जिससे वित्तीय उन्नयन प्रभावित होता हो, की जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे।

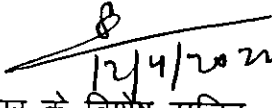
बिहार राज्यपाल के आदेश से


12/4/2022
(संजय दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019 2671 /पटना दिनांक-18/4/22

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

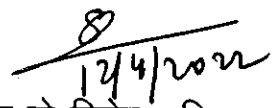
अनुरोध है कि संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।


12/4/2022
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019 2671 /पटना दिनांक-18/4/22

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-02, 03 एवं 04/संबंधित सहायक अभियंता एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




12/4/2022
सरकार के विशेष सचिव